



भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित



**HDFC
ERGO**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

मौसम – रबी 2023-24

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव

उद्देश्य :

1. प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
2. कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
3. आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।



पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक

(ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)

अधिसूचित फसल	बीमित राशि	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
मसूर, जौ, मटर, गेहूं, चना, सरसों	प्रति हेक्टेयर	अधिकतम बीमित राशि का 1.5%	31 दिसम्बर, 2023
आलू	संसूचित राशि	अधिकतम बीमित राशि का 5%	

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु

सम्बन्धित
बैंक शाखा

जन सेवा केन्द्र
(CSC)

भारत सरकार के PMFBY Portal
(www.pmfby.gov.in)

क्रियान्वयक अभिकरण के
अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय

बीमा से आच्छादित जोखिम

ग्रामपंचायत स्तर पर (क्षेत्र आधारित)	व्यक्तिगत आधार पर
• असफल बुआई की स्थिति में। • फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के नुकसान की स्थिति में। • फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड/थैशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में।	• स्थानीय आपदा – खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति। • फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात/चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति। (उपरोक्त आपदा स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है।)

फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

टोल फ्री नं.: 1800 2660 700/
1800 889 6868

सम्बन्धित
बैंक शाखा

कृषि/उद्यान
विभाग कार्यालय

क्राफ्ट इन्श्योरेंस
ऐप



कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।

एचडीएफसी एगो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी 2023-24 के अन्तर्गत
जनपद/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)**

(रबी 2023-24 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर - गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मटर, मसूर, आलू - बीमित राशि का 1.5%, आलू - बीमित राशि का 5%)

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि	कृषक प्रीमियम राशि
रबी 2023- 24	आगरा	गेहूँ	88400	1326.00
		चना	96100	1441.50
		सरसों	115000	1725.00
		आलू	224000	11200.00
	मथुरा	गेहूँ	79900	1198.50
		जौ	60500	907.50
		सरसों	104700	1570.50
		आलू	153200	7660.00
	फिरोजाबाद	गेहूँ	82000	1230.00
		जौ	61100	916.50
		सरसों	105200	1578.00
		आलू	245100	12255.00
	मैनपुरी	गेहूँ	90800	1362.00
		चना	125100	1876.50
		मटर	148400	2226.00
		सरसों	108200	1623.00
	फर्रुखाबाद	आलू	212400	10620.00
		गेहूँ	89200	1338.00
		मसूर	48500	727.50
		सरसों	76700	1150.50
	कन्नौज	आलू	180500	9025.00
		गेहूँ	92800	1392.00
		सरसों	100100	1501.50
		आलू	143000	7150.00
	इटावा	गेहूँ	87500	1312.50
		सरसों	112000	1680.00
		आलू	172300	8615.00
	औरैया	गेहूँ	85700	1285.50
		चना	78800	1182.00
		सरसों	90300	1354.50
		आलू	154300	7715.00
	कानपुर नगर	गेहूँ	85400	1281.00
		चना	85900	1288.50
		मटर	79300	1189.50
		मसूर	52900	793.50
		सरसों	73000	1095.00
		आलू	112500	5625.00
	कानपुर देहात	गेहूँ	91900	1378.50
		जौ	56600	849.00
		चना	80600	1209.00
		सरसों	97000	1455.00

ई-मेल: pmfby.up@hdfcergo.com

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>

एचडीएफसी एग्रीजनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईआरडीआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117, पंजीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालय : पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकबे रेकलेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चण्डी, मुंबई-400020, जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया विक्री के समापन से पूर्व सेल्स कोश/ऑनसैलर को पद ले. ऊपर दर्शाये ट्रेड लोगो एचडीएफसी बिक लि. और एग्री इंटरनेशनल एजी के हैं तथा कंपनी द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया गया है. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18. UID: 13536.